राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1838/2022

बलवान सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. महानिदेशक, पुलिस (मुख्यालय), लालकोठी, जयपुर (राज.)।
3. पुलिस महानिरीक्षक, जयपुर रेंज, बनीपार्क, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.06.2022
आदेश की दिनांक : 21.05.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर यादव, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आरोप पत्र ज्ञापन दिनांक 01.12.2021 में दो आरोप जो प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा ज्ञापित किये गये हैं, उन्हें अपास्त फरमाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी उप निरीक्षक के पद पर पुलिस थाना भिवाडी कार्यरत था और शिकायतकर्ता खुशी मोहम्मद द्वारा रिश्वत का आरोप लगाते हुये एसीबी जयपुर मे शिकायत दर्ज की गई। अपीलार्थी के विरूद्ध एफआईआर संख्या 790/2020 शिकायतकर्ता के परिवार के विरूद्ध मामला दर्ज है। अपीलार्थी के कई शत्रु हैं। ज्ञापन दिनांक 01.12.2021 में आरोप संख्या 1 जांच लंबित है। बाकी प्राथमिक जांच रिपोर्ट दिनांक 27.10.2021 के अंतर्गत 37

मामले अपीलार्थी के निस्तारित हो चुके हैं और 11 मामले लंबित हैं। आरोप पत्र 16 के अंतर्गत दिया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी को 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान बिना देरी किये हुये दिया गया और उप निरीक्षक के पद पर भी अच्छी सेवाओं के आधार पर पदोन्नति की गई। यह सुस्थापित सिद्धांत है कि आपराधिक कार्यवाही और विभागीय कार्यवाही एक साथ चलाई जा सकती है, परंतु समान आधार पर समान रूप से नहीं चलाई जा सकती। इस प्रकार समानंतर विभागीय जांच की कार्यवाही किये जाने से आपराधिक प्रकरण की जांच में प्रतिकूल प्रभाव पडेगा व अपीलार्थी की प्रतिरक्षा प्रकट हो जावेगी। उनका यह भी कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय ने एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 76/2021 यादराम बनाम राज्य सरकार एवं एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 9376/2021 सत्यनारायण मालव बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश जिसमें जहां पर आपराधिक प्रकरण विचाराधीन हो, वहां उन्हीं तथ्यों पर विभागीय जांच की कार्यवाही करने को स्थगित किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी का प्रकरण भी उक्त मामले के समान है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आरोप पत्र ज्ञापन दिनांक 01.12.2021 में दो आरोप जो प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा ज्ञापित किये गये हैं, उन्हें अपास्त फरमाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष आरोप पत्र को चुनौती दी गई है। जबकि आरोप पत्र में अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना नियमानुसार उचित नहीं है। अधिकरण केवल मात्र जारी किये गये आदेश में ही हस्तक्षेप कर सकता है, जो अधिकरण के नियम धारा 2एफ में उल्लेखित है। इस प्रकार मामला अधिकरण में मेनटेनेबल नहीं है। चूंकि अपीलार्थी को नियम 16 के अंतर्गत आरोप पत्र दिया गया है, जिसे अधिकरण के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी उप निरीक्षक के पद पर पुलिस थाना भिवाडी कार्यरत था। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियम 1958 के नियम 16 के अंतर्गत आरोप पत्र/ज्ञापन दिनांक 01.12.2021 दिया गया। जहां तक अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप पत्र/ज्ञापन दिनांक 01.12.2021 में प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा दो आरोपों को अपास्त किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि आरोप पत्र को अधिकरण के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती, परंतु यह भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 76/2021 यादराम बनाम राज्य सरकार व एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 9376/2021 सत्यनारायण मालव बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश जिसमें जहां पर आपराधिक प्रकरण विचाराधीन हो, वहां उन्हीं तथ्यों पर विभागीय जांच की कार्यवाही करना उचित नहीं माना है। इस प्रकार के मामलों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 2682/2021 में पारित आदेश दिनांक 13.09.2021 में निम्नलिखित तरीके से निस्तारित करते हुये समय निर्धारित किया गया है :–

(i) *"The disciplinary proceedings shall remain stayed for a period of three years from today.*

(ii) *Petitioner will be required to file his statement in defence/reply along with the list of witnesses (if any) within a period of 30 days from today. Such period is extendable by not more than 30 days for reasons to be recorded by the disciplinary authority, if facts and circumstances so warrant.*

(iii) *After completion of three years, the disciplinary authority shall resume the proceedings by giving at least a 15 days notice to the delinquent/employee of his intentions so to do and to inform about the status of criminal case.*

(iv) *It will be required of the petitioner - employee to place relevant material, including copies of the order-sheets/ proceedings of the Court, stage of the trial, list of*

witnesses and number of witnesses examined by that time and any other relevant information.

(v) The petitioner will be free to make a request to adjourn the proceedings further, while indicating reasons and grounds for the same.

(vi) The disciplinary authority in such event, shall independently apply his mind on the material placed and progression of the criminal case and decide as to whether the enquiry is required to be stayed any further.

(vii) In case, the disciplinary authority is of the view that the enquiry is required to be kept on hold any further, he will keep the same in abeyance for a further period, not more than two years.

(viii) On completion of such period (total five years), the disciplinary authority shall take up the proceedings by appointing an inquiry officer under intimation to the petitioner, who shall, then, proceed in accordance with law, while following procedure provided under Rule 16 of the CCA Rules of 1958.

(ix) Needless to observe that if criminal case itself is decided either way, during the aforesaid period of three/five years, the disciplinary authority shall be free to resume the inquiry, of course while observing principles of natural justice.

(x) *Above time frame is a broad guideline and directory in nature; non adherence thereto will not per-se vitiate the proceedings."*

उपरोक्तानुसार प्रत्यर्थी विभाग भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त मामले में निर्धारित टाइम लाईन के अनुसार वर्तमान प्रकरण को निश्चित समयावधि में नियमानुसार निस्तारित करे। अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत को ध्यान में रखते हुये वर्तमान मामले को निश्चित समयावधि में नियमानुसार निस्तारित करें।

अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 03.06.2022 की पुष्टि (confirm) की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य